

9

3/32

2435

331

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

B 456853



विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: मिर्जापुर
3.	ग्राम	: निजामपुर मझिगावा
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	: भूमि खसरा संख्या-311
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेअर
6.	विश्रित सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.106 हेक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
9.	बोरिंग/कुआ/अन्य	: नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रु० 1,25,673/-
11.	मासिकता	: रु० 1,16,600/-
12.	स्टाम्प	: रु० 12,600/-



...

...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

B 456854

- 2 -

चीहद्दी

खसरा न० 311

पूरुब : खसरा संख्या-312
पश्चिम : खसरा संख्या-310
उत्तर : रेलवे लाईन
दक्षिण : सीमा ग्राम बरौना

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण
कुआरे पुत्र कुशाहर,
निवासी- ग्राम निजामपुर
मझिगवाँ, परगना-बिजनौर,
तहसील व जिला लखनऊ।
व्यवसाय - कृषि

क्रेता का विवरण
ओम प्रकाश पुत्र सुखराम,
निवासी- मिर्जापुर, मिटारी,
पोस्ट-नवगांव,
जिला-फतेहपुर, 3090।
व्यवसाय - कृषि

(कुआरे पुत्र कुशाहर)

(ओम प्रकाश पुत्र सुखराम)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

संयोजित अक्षर

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

C 195854

-3-

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख कुआरे पुत्र कुशहर, निवासी- ग्राम निजामपुर मझिगवाँ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् ओम प्रकाश पुत्र सुखराम, निवासी- मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट-नवगांव, जिला-फतेहपुर, उ०प्र० जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या-311 रकबा 0.530 हेक्टेअर में से अपना हिस्सा यानि रकबा 0.106 हेक्टेअर, स्थित

(10/10/1958)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

प्रदेश UTTAR PRADESH

C 195855

-4-



ग्राम निजामपुर मंडिगवा, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, के मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षट्वाषिक खाता खतीनी क्रम संख्या 00176 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक,

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



- 5 -

कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि

(Signature)

(Signature)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश UTTAR PRADESH



-6-

नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु० 1,25,673/- (रुपया एक लाख पच्चीस हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रोता ओम प्रकाश पुत्र सुखराम, निवासी- मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट-नवगांव, जिला-फतेहपुर, उ०प्र० द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार

(स. प्रकाश)



उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मॉके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मध्य हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

(दि. १० अगस्त)

(दि. १० अगस्त)

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम निजामपुर मझिगवा अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू० 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.106 हेक्टेअर की मालियत रू० 1,16,600/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए निचमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 12,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं

(10/0/2007/1/1)


5/10/2007/1/1

विक्रय पत्र

125,673.00/ 117,000.00

2,520.00 40 2,560.00 2,000

फीस रजिस्ट्री भूकल व प्रति शुल्क धारा 385 नगरपालिका

प्राप्तिका मातृपत्र
श्री/श्रीमती कुमारी
पुत्र/पत्नी श्री कुमारी
पेशा कृषि



निवासी निकासपुर मझिगावा बिजनीर लखनऊ
अस्थापी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 16/3/2007 समय 5:53PM

हजे निबन्धन हेतु पेश किया।

क.क. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

16/3/2007

निष्पादन लेखपत्र बाद मूलने व सुपझने मजमून व प्राप्त धनराशि का प्रत्येकानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती कुमारी
पुत्र/पत्नी श्री कुमारी
पेशा कृषि
निवासी निकासपुर मझिगावा बिजनीर लखनऊ



क्रेता

श्री/श्रीमती ओम प्रकार
पुत्र/पत्नी श्री सुखराम
पेशा कृषि
निवासी मिर्जापुर मिटारी नवगाँव फतेहपुर



ने निष्पादन स्वीकार किया।

निम्नकी पहचान श्री सुनील कुमार सिंह

पुत्र श्री जी सी सिंह

पेशा व्यापार

निवासी आर्षनगर लखनऊ

व श्री राम मिलन यादव

पुत्र श्री बाबू लाल यादव

पेशा व्यापार

निवासी नयामपुर लखनऊ

ने की।



प्रत्येकतर भद वाशियों के निष्पन्न अंगुठे निष्पन्नानुसार लिये गये है।

क.क. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

16/3/2007

विक्रता

Registration No 2435

Year : 2007

Book No. 1

0101 कुमारे

कुमारे

विजयपुर, मडियावाडी त्रिजलीर लखनऊ

दुपि




रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,
फिंगरप्रिंट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- कुशी 33 कृष्णा

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह - प्रथम अंगुली, मध्यम अंगुली, तृतीय अंगुली, चतुर्थ अंगुली, अनामिका



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- कुशी 33 कृष्णा

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह - प्रथम अंगुली, मध्यम अंगुली, तृतीय अंगुली, चतुर्थ अंगुली, अनामिका



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर
प्र. च. राज प्रकाश

केला

Registration No. 2435

Year : 2007


Book No. 1

0201 जोग प्रकाश
सुखराम
विजयपुर विटारी नवरीप फतेहपुर
दुमि



ग्राम: विधानपुर तहसील
 सांख्य संख्या- 311
 विक्रेता: कुमारी
 क्रेता: मोहन कुमार

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण



(सि. कुमारी)

(मोहन कुमार)

आज दिनांक 16/03/2007 को
वही सं 1 जिल्द सं 8180
पृष्ठ सं 1 से 24 पर क्रमांक 2435
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।


के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

16/3/2007